GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *47
TO BE ANSWERED ON 12.12.2022

Credit facilities to MSMEs

*47 SHRI MASTHAN RAO BEEDA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of measures being taken to augment credit facilities to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the country;

(b) the total amount of credit extended to MSMEs in the country during the last three years, year-wise;

(c) the State/UT-wise details thereof; and

(d) the measures proposed to be taken in this respect for enhancing credit availability to MSMEs?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI NARAYAN RANE)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 47 FOR ANSWER ON 12.12.2022.

(a) & (d): To augment the credit facilities, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are being supported by the ongoing financial assistance schemes of the Ministry of MSME. Some of these include (i) Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) which is a major credit-linked subsidy programme aimed at generating self-employment; and (ii) Credit Guarantee Scheme (CGS) to strengthen credit delivery system and to facilitate the flow of credit to the Micro and Small Enterprise sector without the hassles of collateral and third party guarantee up to a maximum of Rs. 200 lakh.

Additionally, the Government and Reserve Bank of India (RBI) have taken a number of initiatives vide programmes & schemes and announcements to support the MSMEs, which inter alia include (i) Collateral free automatic loans under Guaranteed Emergency Credit Line (GECL)/Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) for businesses, including MSMEs; (ii) inclusion of retail and wholesale traders as MSMEs for Priority Sector Lending; (iii) Co-Lending by Banks and NBFCs to Priority Sector; (iv) Restructuring of MSME loan accounts; and (v) Trade Receivables Discounting System (TReDS).

In addition, in the Union Budget 2022-23, the Government has announced (i) to enhance the amount of collateral free automatic loans under ECLGS by Rs.50,000 core (for hospitality and related enterprises) to Rs. 5 lakh crore and extended its validity period till 31.03.2023, and (ii) revamping of Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE) to facilitate additional credit of Rs 2 lakh crore for micro and small enterprises and for expanding employment opportunities.

(b) & (c): The total amount of credit extended to MSMEs in the country, as informed by Reserve Bank of India during the last three years, year-wise and the State/UT-wise details thereof are at **Annexure I**.

***

Annexure-I as referred to in reply to part (b)&(c) of the Rajya Sabha Starred Question No. *47 for answer on 12.12.2022

Credit outstanding to MSME Sector by Scheduled Commercial Banks (State-wise)

(No. of Accounts in lakh, Amount outstanding in ₹ crore)

S. No.	State	As on March 31, 2020		As on March 31, 2021		As on March 31, 2022	
		No. of A/cs	Amt. O/s	No. of A/cs	Amt. O/s	No. of A/cs	Amt. O/s
1.	Andaman & Nicobar	0.07	718.93	0.08	786.59	0.07	769.05
2.	Andhra Pradesh	10.30	57,234.34	13.80	62,878.79	13.26	71,877.26
3.	Arunachal Pradesh	0.16	812.22	0.18	906.96	0.18	1014.15
4.	Assam	14.56	20,259.55	17.86	22,698.71	5.94	20,837.48
5.	Bihar	22.93	29,784.55	25.16	33,303.92	10.62	34,002.47
6.	Chandigarh	0.69	11,074.47	0.51	9,729.48	0.41	11,968.00
7.	Chattisgarh	7.04	23,107.35	7.42	25,988.89	4.43	31,919.39
8.	Dadra & Nagar Haveli	0.09	764.20	0.11	1,186.64	0.06	1,160.42
9.	Daman & Diu	0.04	542.75	0.03	361.80	0.03	674.50
10.	Delhi	5.54	1,08,136.70	8.14	1,08,796.40	4.29	1,30,604.29
11.	Goa	0.82	4,802.98	0.87	5,578.65	0.68	5,700.10
12.	Gujarat	14.36	1,28,908.09	14.63	1,46,872.76	10.29	1,85,075.74
13.	Haryana	8.14	55,912.05	8.64	62,457.67	6.57	80,103.24
14.	Himachal Pradesh	1.42	7,968.07	1.83	9,830.08	1.64	11,665.19
15.	Jammu & Kashmir	3.11	14,656.28	3.90	16,354.21	4.15	16,694.63
16.	Jharkhand	12.05	21,360.57	13.49	23,839.56	6.71	26,257.14
17.	Karnataka	24.35	90,853.38	24.32	1,06,007.59	15.48	1,26,575.65
18.	Kerala	14.06	59,657.07	15.46	60,200.80	14.49	67,543.53
19.	Lakshadweep	0.01	20.16	0.02	22.65	0.01	25.93
20.	Madhya Pradesh	21.70	57,266.73	23.68	63,009.09	15.85	72,347.61
21.	Maharashtra	38.54	3,03,670.86	39.94	3,52,894.81	26.91	3,39,446.16
22.	Manipur	0.79	1,066.15	0.89	1,153.81	0.45	1,159.81
23.	Meghalaya	0.46	1,130.63	0.53	1,237.84	0.25	1,334.84
24.	Mizoram	0.24	605.75	0.29	697.14	0.15	705.42
25.	Nagaland	0.39	775.10	0.44	863.59	0.17	880.93
26.	Odisha	19.49	33,983.61	20.89	36,311.11	12.03	39,905.15
27.	Puducherry	1.48	3,051.96	1.17	3,192.45	0.92	3,456.85
28.	Punjab	9.45	53,412.42	9.71	59,272.69	7.38	70,967.23
29.	Rajasthan	14.18	63,411.14	16.27	76,129.31	10.58	95,615.51
30.	Sikkim	0.26	900.51	0.33	813.04	0.18	808.66
31.	Tamil Nadu	43.41	1,81,634.98	34.21	1,91,350.67	39.07	2,19,118.87
32.	Telangana	6.39	62,018.79	9.79	66,334.66	7.37	83,155.95
33.	Tripura	2.23	2,689.29	3.05	3,116.69	0.61	2,168.20
34.	Uttarakhand	4.91	33,662.37	10.43	28,751.41	2.56	17,591.92
35.	Uttar Pradesh	28.33	88,733.16	29.58	1,05,215.15	24.33	1,36,723.44
36	West Bengal	52.17	88,995.02	62.53	95,779.19	16.51	1,01,202.28
	TOTAL	**384.18**	**16,13,582.17**	**420.19**	**17,83,924.80**	**264.67**	**20,11,056.98**

Source: Reserve Bank of India

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *47

उत्तर देने की तारीख : 12.12.2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधाएं

***47. श्री मस्थान राव बीडा :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वर्ष-वार कुल कितनी ऋण राशि दी गई है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने के संबंध में प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (घ) : वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 47, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (घ) : ऋण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को एमएसएमई मंत्रालय की जारी चालू वित्तीय सहायता स्कीमों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इनमें से कुछ स्कीमों में - (i) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जोकि स्व-रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है; तथा (ii) ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को कोलेटरल मुक्त एवं अधिकतम 200 लाख रुपए की तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों और स्कीमों तथा घोषणाओं के तहत कई पहलें की हैं जिनमें (i) गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) के अंतर्गत कोलेटरल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण/एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस); (ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए खुदरा तथा थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना; (iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंकों तथा एनबीएफसी द्वारा सह-ऋण; (iv) एमएसएमई ऋण खातों का पुनर्गठन; और (v) व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) शामिल हैं।

इसके अलावा, केन्द्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने (i) ईसीएलजीएस के तहत कोलेटरल मुक्त ऑटोमेटिक ऋण की राशि को 50,000 करोड़ रुपए (आतिथ्य तथा इससे संबंधित उद्यमों के लिए) बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए की है और इसकी वैधता अवधि दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ा दी है तथा (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की सुविधा और रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के पुनर्गठन करने की घोषणा की है।

(ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एमएसएमई को प्रदान की गई कुल ऋण राशि का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *47, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2022 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दी जाने वाली बकाया क्रेडिट राशि (राज्य-वार)

(खातों की संख्या लाख में, बकाया राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च, 2021 तक		31 मार्च, 2022 तक	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1.	अंडमान और निकोबार	0.07	718.93	0.08	786.59	0.07	769.05
2.	आंध्र प्रदेश	10.30	57,234.34	13.80	62,878.79	13.26	71,877.26
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.16	812.22	0.18	906.96	0.18	1014.15
4.	असम	14.56	20,259.55	17.86	22,698.71	5.94	20,837.48
5.	बिहार	22.93	29,784.55	25.16	33,303.92	10.62	34,002.47
6.	चंडीगढ़	0.69	11,074.47	0.51	9,729.48	0.41	11,968.00
7.	छत्तीसगढ़	7.04	23,107.35	7.42	25,988.89	4.43	31,919.39
8.	दादरा और नागर हवेली	0.09	764.20	0.11	1,186.64	0.06	1,160.42
9.	दमन और दीव	0.04	542.75	0.03	361.80	0.03	674.50
10.	दिल्ली	5.54	1,08,136.70	8.14	1,08,796.40	4.29	1,30,604.29
11.	गोवा	0.82	4,802.98	0.87	5,578.65	0.68	5,700.10
12.	गुजरात	14.36	1,28,908.09	14.63	1,46,872.76	10.29	1,85,075.74
13.	हरियाणा	8.14	55,912.05	8.64	62,457.67	6.57	80,103.24
14.	हिमाचल प्रदेश	1.42	7,968.07	1.83	9,830.08	1.64	11,665.19
15.	जम्मू और कश्मीर	3.11	14,656.28	3.90	16,354.21	4.15	16,694.63
16.	झारखंड	12.05	21,360.57	13.49	23,839.56	6.71	26,257.14
17.	कर्नाटक	24.35	90,853.38	24.32	1,06,007.59	15.48	1,26,575.65
18.	केरल	14.06	59,657.07	15.46	60,200.80	14.49	67,543.53
19.	लक्षद्वीप	0.01	20.16	0.02	22.65	0.01	25.93
20.	मध्य प्रदेश	21.70	57,266.73	23.68	63,009.09	15.85	72,347.61
21.	महाराष्ट्र	38.54	3,03,670.86	39.94	3,52,894.81	26.91	3,39,446.16
22.	मणिपुर	0.79	1,066.15	0.89	1,153.81	0.45	1,159.81
23.	मेघालय	0.46	1,130.63	0.53	1,237.84	0.25	1,334.84
24.	मिजोरम	0.24	605.75	0.29	697.14	0.15	705.42
25.	नागालैंड	0.39	775.10	0.44	863.59	0.17	880.93
26.	ओडिशा	19.49	33,983.61	20.89	36,311.11	12.03	39,905.15
27.	पुडुचेरी	1.48	3,051.96	1.17	3,192.45	0.92	3,456.85
28.	पंजाब	9.45	53,412.42	9.71	59,272.69	7.38	70,967.23
29.	राजस्थान	14.18	63,411.14	16.27	76,129.31	10.58	95,615.51
30.	सिक्किम	0.26	900.51	0.33	813.04	0.18	808.66
31.	तमिलनाडु	43.41	1,81,634.98	34.21	1,91,350.67	39.07	2,19,118.87
32.	तेलंगाना	6.39	62,018.79	9.79	66,334.66	7.37	83,155.95
33.	त्रिपुरा	2.23	2,689.29	3.05	3,116.69	0.61	2,168.20
34.	उत्तराखंड	4.91	33,662.37	10.43	28,751.41	2.56	17,591.92
35.	उत्तर प्रदेश	28.33	88,733.16	29.58	1,05,215.15	24.33	1,36,723.44
36	पश्चिम बंगाल	52.17	88,995.02	62.53	95,779.19	16.51	1,01,202.28
	कुल	**384.18**	**16,13,582.17**	**420.19**	**17,83,924.80**	**264.67**	**20,11,056.98**

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

SHRI MASTHAN RAO BEEDA: Sir, does the Government intend to increase the provision of repayment of loans for MSMEs from 90 days to 180 days as the working cycle of MSMEs may extend beyond 90 days, and thus improve their repayment ability?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उन्होंने एमएसएमई़ज की जो ऋण सीमा है, विशेष रूप से उसे बढ़ाने की बात कही है।

महोदय, जैसा हमारे उत्तर में दिया गया है, हमारी जो पीएमईजीपी योजना है, वह स्व-रोज़गार सृजित करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में भी संशोधन किया जा चुका है। इसके अंतर्गत पहले सेवाकर्मियों को जहां 10 लाख रुपया दिया जाता है, उसे बढ़ा कर अब 20 लाख रुपये कर दिया गया है। मेन्युफेक्चरिंग में पहले जो 25 लाख रुपये दिए जाते थे, अब वे बढ़ा कर 50 लाख रुपये कर दिए गए हैं। इस तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाया गया है।

SHRI MASTHAN RAO BEEDA: Sir, what efforts is the MSME Ministry taking for implementing the existing schemes? What action is it taking against the non-complying Government organisations? Thank you, Sir.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आरबीआई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)। इन योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई़ज की जो यूनिट्स हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं कि आप ऋण बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश में ऐसे कितने लघु-सूक्ष्म उद्योग हैं, जो विगत तीन वर्षों में बंद हुए हैं? क्या यह सच है कि 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से आज तक के जो आंकड़े हैं, मैं सरकारी आंकड़ों की बात नहीं कह रही हूं, लेकिन गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार 50 से 60 लाख एमएसएमई़ज बंद हुए हैं, क्या यह सही है? क्या आप इसके सरकारी आंकड़े सार्वजनिक करेंगे? 2016 से अब तक कितने लघु उद्योग या एमएसएमई़ज बंद हुए हैं, उनके क्या आंकड़े हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: सभापति महोदय, जो लघु उद्योग बंद हुए हैं, वे पहले बंद नहीं हुए, बल्कि अभी हाल ही में कोरोना काल के समय में बंद हुए हैं। कोरोना काल में जो उद्योग बंद हुए हैं, उनको सुचारू करने के लिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। उस विशेष पैकेज में लघु उद्योगों को 3 लाख रुपये दिए गए थे। उसके बाद 1.5 लाख रुपये की राशि उसमें और जोड़ी गई थी।

महोदय, इस वर्ष जो बजट पास हुआ था, उस बजट में भी इसके लिए 50,000 करोड़ रुपये और ऐड किए गए हैं। 5 लाख करोड़ रुपये की जो ईसीएलजीएस योजना बनाई गई है, वह पैसा विशेष रूप से जो सिक यूनिट्स हैं, ऐसी बीमारू यूनिट्स को दिया गया है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, MSME is a very important sector in the country.

MR. CHAIRMAN: Only questions please, Ask your question.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, MSME sector is a very important sector in the country, like ours, which is thickly populated where unemployment looms large. Recently, when the Committee had an interaction with the bank officials, we came to know that the PMEGP, which is the main source of income for the small entrepreneurs, the applications are entertained only online. Rural women and those illiterate in the urban areas...

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI TIRUCHI SIVA: Rural women and those illiterate in the urban areas can't have access to online facilities. I would like to ask the hon. Minister, firstly, to take necessary steps to continue with the offline applications; also, let them be in the regional languages because now the applications are only in Hindi or English. The applications should be entertained in all the regional languages.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पीएमईजीपी की बात पूछी है। हमारी जो एमएसएमईज़ हैं, उन्हें मदद करने के लिए यह योजना विशेष तौर से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की यूनिट्स को सब्सिडी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 15% से 25% की सब्सिडी दी जाती है, इसी तरह एससी/एसटीज़, ओबीसीज़ के अलावा जो महिलाएं हैं अथवा पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं, उनके लिए 25% से 35% तक सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी के आधार पर उन्हें लोन दिया जाता है, इस तरह एमएसएमईज़ के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है।

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, my question was entirely different. ...(*Interruptions*)...

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नारायण राणे): सभापति महोदय, सम्माननीय ज्येष्ठ सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है और उसके बारे में उन्होंने जो कहा है कि ऑनलाइन तो चालू रहेगी, मगर ऑफलाइन से एप्लीकेशंस आने पर क्या वे स्वीकार होंगी, इसके बारे में सोचकर सॉल्यूशन फॉर एक्शन मैं देखूंगा।

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: The scheme is very good. Through this scheme, credit facilities are given to the marginal and small industries.

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Yes, Sir. The ground reality is something different. I will tell you. Hon Minister, generally the nodal agency took...

MR. CHAIRMAN: Address the hon. Minister through me and put a good question so that I can direct the hon. Minister to respond.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, the nodal agency took the applications online. The nodal agency sent the applications to the banks for credit. But the ground reality is that bank is not obliged...

MR. CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: More than 65 per cent applications have been rejected by banks. I want to know from the hon. Minister if the Government of India will go for a simple mechanism to help the grass root people.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इनका कहना यह है कि लोन के जो फॉर्म्स भरे जाते हैं, बैंक्स उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। बैंकों के द्वारा विशेष रूप से लोन देने के जो प्रोविज़ंस हैं, वे प्रोविज़ंस बैंक्स अपनाते हैं और उसमें कैटेगरीज़ दी जाती हैं, उसमें स्कैनिंग की भी सारी चीजें होती हैं, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है और अगर कोई शिकायत भी हम लोगों को प्राप्त होती है, तो हम लोग जिले में सीधे एलडीएम से बात करते हैं, जो एलडीएमओ का नोडल अधिकारी होता है, हम उसे कहते हैं कि इसे देखियेगा कि किन कारणों से यह लोन नहीं हुआ है। वह लोन होता है और विशेष रूप से सब चीजें फुलफिल करने के बाद यह लोन गरीबों को दिया जाता है।

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 48.